



# शहीद नंदकुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़ (छ.ग.)

(छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 द्वारा स्थापित राजकीय विश्वविद्यालय)

गढ़उमरिया, ओडिशा रोड, रायगढ़ (छत्तीसगढ़) 496001

ई-मेल- [registrarsnpv@gmail.com](mailto:registrarsnpv@gmail.com) , वेबसाईट- <https://snpv.ac.in>

क्रमांक 2-1-1/701/संबद्धता/2021/1487

रायगढ़, दिनांक 28.10.21

// आदेश //


छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विभाग रायपुर के अनुमति पत्र क्रमांक एफ 3-5/2018/38-1 नवा रायपुर, दिनांक 03.08.2018 एवं विश्वविद्यालय अधिसूचना क्र. 2-1-1/संबद्धता निरीक्षण/701/2021/1368 रायगढ़, दिनांक 13.10.2021 द्वारा गठित निरीक्षण समिति की अनुशंसा के आधार पर शासकीय महाविद्यालय धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से निम्नानुसार विषय/पाठ्यक्रम में संबद्धता हेतु विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जाता है :-

क्रमांक	विषय/पाठ्यक्रम	सीट संख्या
01	बी.एस.सी. द्वितीय वर्ष (गणित समूह)	30-सीट
02	बी.एस.सी. तृतीय वर्ष (गणित समूह)	30-सीट

निर्धारित शर्तें :-

1. छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी अनुमति पत्र में निर्धारित शर्तों का पालन किया जावे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालयों को सम्बद्धता) विनियम-2009 एवं 2012 में उल्लेखित की गई शर्तों का पालन किया जावे।
3. उपरोक्तानुसार पाठ्यक्रम अनुरूप अद्यतन पुस्तकें/उपकरण क्रय किया जावे।  
महाविद्यालय को उल्लेखित शर्तों की पूर्ति कर पालन प्रतिवेदन 20.11.2021 तक विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित शर्तों की पूर्ति न होने की स्थिति में यह अस्थायी सम्बद्धता आगामी सत्र से स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी। इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी।

आदेशानुसार


  
(कृष्ण कुमार चन्द्राकर)  
कुलसचिव  
Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya  
Raigarh (C.G.)

रायगढ़, दिनांक 28.10.21

पृ. क्रमांक 2-1-1/701/संबद्धता/2021/1488

प्रतिलिपि:-

1. कुलपति के निज सचिव को माननीय कुलपति महोदय के सादर सूचनार्थ।
2. अवर सचिव, छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ।
3. प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़ (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
प्रमारी अधिकारी (अका.)  
28/10/21